न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सिंह RTS सरदारशहर

प्र0सं. 33/2021 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91

सरकार **बनाम** ओमप्रकाश पुत्र श्री तोलूराम जाति जाट निवासी ग्राम जीवणदेसर तहसील सरदारशहर

:–निर्णयः–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जीवणदेसर ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **ओमप्रकाश पुत्र श्री तोलूराम जाति जाट निवासी ग्राम जीवणदेसर तहसील सरदारशहर** द्वारा रोही मौजा जीवणदेसर के खसरा नं0 326 तादादी 0.6200 हैक्टे. गैर मुमकिन जोहड में से 0.022 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी की पुत्री ममता सहारण को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंग्न है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया कि मेरे द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटा दिया जावे।

हमने आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.01.2022 को अप्रार्थी को स्वयं के हित में सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाब से यह स्वत: सिद्ध होता है कि अप्रार्थी का खसरा नं 326 तादादी 0.6200 हैक्टे किस्म गै.मुमकिन जोहड़ में से 0. हैक्टे भूमि पर अवैध अतिक्रमण है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि भवष्यि में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे अत: नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार सरदारशहर (चूरू)

तहसीलदार
सरदारशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 15:58:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अद्योपांत [illegible] पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट तथा हल्का पटवारी द्वारा पुन: प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा जीवणदेसर के ख.नं. 326 तादादी 0.6200 हैक्टे. गैर मुमकिन जोहड में से 0.022 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत

Scanned with CamScanner

ता है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्याय हित में अप्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिससे भविष्य में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिचार न कर सके।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 2 रू. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। भू.अ.नि. सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से वेदखल करें तथा पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें व तहसील राजस्व लेखाकार से तावान की मांग कायमी करवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(हनुमान सिंह)
तहसीलदार
सरदारशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 15:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner